INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक समग्र विश्लेषण

(National Education Policy 2020: A Comprehensive Analysis)

डॉ. योगेन्द्र कुमार
सहायक आचार्य अर्थशास्त्र
राजकीय कन्या महविद्यालय,
अजमेर (राजस्थान)
E-mail: dr.yogendrakum@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/09.2021-75371973/IRJHIS2109004

शोध सारांश :

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था प्रदान करने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक मानकों के स्तर का बनाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में किए गए प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है तथा इन प्रस्तावित प्रावधानों से भारतीय शिक्षण व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है नई शिक्षा नीति के समक्ष आने वाली चुनौतियां पर भी इस आलेख में प्रकाश डाला हैं।

संकेत अक्षर : *नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था, कौशल विकास, शैक्षणिक।*

प्रस्तावना :

''असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय''

शिक्षा मनुष्य को जीवन में असत्य से सत्य की ओर एवं अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश के ज्ञान की ओर ले जाती है। उपर्युक्त पंक्तियां जीवन में शिक्षा की आवश्यकता को ही नहीं बल्कि उसके महत्त्व को भी रेखांकित करती है। जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक एवं क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तनो के साथ लगभग 34 वर्ष के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति दे दी है। इससे पूर्व वर्ष 1968 एवं1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1986 की शिक्षा नीति में वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी।

विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव व सुझावों तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सभी वर्गों की आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहीता के आधार पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं एवं कुशलताओं को विकसित है।

शोध कार्य का उद्देश्य :

1.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करना।

2.भारतीय शिक्षा प्रणाली पर नई शिक्षा नीति के प्रभावों का विश्लेषण करना।

भारतीय शिक्षा नीति की क्रमिक विकास यात्रा :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के मुख्य बिंदु :

आजाद भारत में शिक्षा पर प्रथम नीति कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों के आधार पर थी। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया था। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर केन्द्रित किया गया था। इस नीति ने संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित किया। इस शिक्षा नीति में भी शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के मुख्य बिंदु :

इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को दूर करते हुए विकास की मुख्यधारा से वंचित महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये ''ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड'' लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक, सामाजिक विकास और शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित ''ग्रामीण विश्वविद्यालय'' मॉडल के निर्माण के लिये नीति बनाई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992 :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance Examination AIEEE) तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया इससे पूर्व विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण शिक्षार्थियों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ बढ़ता था। जिसे इन सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कम करने का प्रयास किया था।

नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता :

- नियमित रूप से परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और उत्कृष्ट शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ी भारतीय शिक्षण प्रणाली को वैश्विक मानकों के आधार पर विकसित करने के लिए भी वर्तमान शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई।

नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, जवाबदेहीता जैसे मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित गया है।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- MHRD के नाम में परिवर्तन_कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी स्वीकृति दी गई है। नई शिक्षा नीति_–2020 के अन्तर्गत MHRD का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने का उद्देश्य 'शिक्षा और सीखने (Education and Learning) पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है।

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नए प्रावधान :

स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, देश के शिक्षा क्षेत्र को एक नया ढांचा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति की रूपरेखा इस प्रकार है। स्कूल शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: –

- वर्तमान में संचालित शिक्षण व्यवस्था 10+2 संरचना को 5+ 3 + 3 + 4 संरचना में संशोधित किया जायेगा। इस संरचना 3 से 18 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को समाहित किया जाएगा।
- 3 और 2 वर्षों के मूलभूत स्टेट में प्ले स्कूल और कक्षा 1 और 2 शामिल होंगे, कक्षा 3 से 5 में प्रारंभिक चरण, 6 से 8 में मध्य विद्यालय और कक्षा 9 से 12 तक के माध्यमिक चरण के अंतर्गत होंगे। पूरी संरचना यहाँ निम्नांकित है –
  - फाउंडेशनल स्टेज (5): 5 वर्षों को दो भागों में बांटकर 3 से 8 साल की उम्र के लिए, फाउंडेशनल स्टेज का सुझाव दिया गया है। बहु–स्तरीय खेल गतिविधि आधारित सीखने में 3 साल से लेकर आंगनवाड़ी, प्री–स्कूल या आमतौर पर प्ले स्कूल और किंडर गार्डन कक्षाओं में 3 से 6 वर्ष तक खानपान शामिल हैं। इस प्रकार केजी के प्री–स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 के 2 साल, इसे 5 साल की शिक्षा के अंतर्गत होंगे। खेल–कूद आधारित और सह शेक्षणिक गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम द्वारा भाषा कौशल और शिक्षण को विकसित किया जाएगा।

- ❖ प्रिपेटरी स्टेज (3): यह स्टेज कक्षा 3 से 5 तक के लिए है। इस चरण में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास, भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा होगी। सभी शिक्षार्थियों को तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी – और राज्य के द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि कोनसी भाषा सिखाएं।
- ❖ मिडिल स्टेज (3): कक्षा 6 से 8 तक का संदर्भ देते हुए, नई संरचना का मुख्य उद्देश्य है कि विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक अधिक अनुभवात्मक सीखने के लिए मौजूदा प्रणाली से शिक्षाशास्त्र को बदलना। इस चरण का मुख्य उद्देश्य रट्टा प्रवृत्ति के स्थान पर अवधारणा को समझने पर एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम, व प्रोफेशनल और कौशल विकास पर रहेगा।
- ❖ सैकंडरी लेवल (4): इस लेवल में कक्षा 9 से 12 या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शामिल हैं। इस स्तर पर सुझाए गए परिवर्तनों में एक बहु–विषयक अध्ययन शामिल है जहां विद्यार्थी उपलब्ध विषय संरचना में से किसी भी विषय को चुन सकते हैं।इस चरण में ध्यान अधिक महत्वपूर्ण सोच और लचीलेपन पर होगा, जिससे बच्चा अपनी रुचि के अनुसार तकनीकी,विज्ञान वाणिज्य एवं कला विषयों में से किसी को भी चुन सकता है।

- ➢ भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, संस्कृति और मूल्यों पर ध्यान दिया जाना है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई–कंटेंट विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, NETF का गठन किया जाएगा।
- ➢ सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें 2025 तक कक्षा 3 द्वारा सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगी।
- ➢ एनआईओएस और स्टेट ओपन स्कूल ए, बी और सी स्तरों की पेशकश भी करेंगे जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के कक्षा3, 5 और 8 के बराबर हैंय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो ग्रेड 10 और 12 के बराबर है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन–संवर्धन कार्यक्रम शामिल हैं।
- ➢ बच्चों द्वारा सीखी गई तीन–भाषा राज्यों, क्षेत्रों और शिक्षार्थियों की पसंद होगी। विद्यार्थी तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत मूल भाषाएँ सीखेंगे।

राज्य भाषायी विविधता को संरक्षण :

- ➢ सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण विकास जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली ,फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए अनुवाद संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम को भी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा।
- ➢ नई शिक्षा नीति –2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषाः स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षार्थियों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प मौजूद होगा

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुधार :

नई शिक्षा नीति –2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम के बोझ को कम एवं अध्यापन प्रणाली में परिवर्तन करते हुए शिक्षार्थियों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

- शिक्षार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) बनाई जाएगी
- छात्रों के सर्वांगिण विकास के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव (समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न) किये जाएंगे। इसके अलावा 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence– AI) आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार : शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होगी इसके लिए निम्न सुधार प्रस्तावित है।

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ–साथ कार्य–प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers– NPST) का विकास होगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education–NCFTE) का विकास किया जाएगा।
- उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था हेतु वर्ष 2030 तक अध्यापन कार्यों के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित नए प्रावधानों का विवरण :

- नई शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों का सृजन किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके अन्तर्गत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में विद्यार्थी कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
- स्नातक की डिग्री या तो 3 या 4 साल की अवधि की होगी, इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प के साथ उपयुक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक या अव्यावसायिक क्षेत्रों सहित

किसी भी एक पाठ्यक्रम में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र, या 2 वर्षों के बाद एक डिप्लोमा 3 वर्षों के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

- 4 साल की डिग्री प्रोग्राम का करने वाले शिक्षार्थियों के पास रिसर्च के साथ डिग्री प्राप्त करने का एक विकल्प होगा। अनुसंधान को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जिसे स्वतंत्र रूप से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संचालित किया जाएगा।
- उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है।
- विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। सभी तकनीकी संस्थानों को भी बहुविषयक नीति को अपनाना होगा।
- टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान–प्रदान हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technology Forum–NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी।
- महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
- देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities–MERU) की स्थापना की जाएगी।

भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन :

चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India –HECI) का गठन किया जाएगा। HECI के लिये चार संस्थानोंधनिकायों का निर्धारण किया गया है–

- विनियमन हेतु– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद
- मानक निर्धारण– सामान्य शिक्षा परिषद
- वित पोषण– उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद
- प्रत्यायन– राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद

नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित चुनौतियाँ :

- **योजना की कमी**– 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा योजना को तय नहीं किया गया है।
- **केंद्रीकृत व्यवस्था**– यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. की जगह एक ही विनियामक होने से शिक्षा के केंद्रीयकरण की संभावना है जिसके कारण शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न हो

सकती है।

- **महँगी उच्च शिक्षा**– नई शिक्षा नीति में, 50 उत्कृष्ट विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसमें विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निर्धन वर्ग के शिक्षार्थियों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **शिक्षकों का पलायन**– विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष एवं कुशल शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए पलायन कर सकते हैं।
- **बजट**–वर्ष 2017–18 में भारत सरकार ने जी.डी.पी. का महज 2.7 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया है अतः देखना यह है कि नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर कैसे खर्च होगा? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को एक बेहतर कार्य योजना की आवश्यकता होगी।
- **संसद की अवहेलना**– विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।
- **कुशल मानव संसाधन का कमी**– मौजूदा शिक्षण प्रणाली में दक्ष शिक्षकों एवं कुशल आंगनबाड़ी कार्यकताओं का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई शिक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ आएगी।

निष्कर्ष :

शिक्षा में सुधार के लिए सबसे जरूरी है, कि शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता को कायम किया जाए सरकार को शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए ताकि वे वैश्विक नवाचार को बढ़ावा दे सके। नई शिक्षा नीति पर्यावरण, अनुसंधान,खेल, संस्कृति,चिकित्सा सुविधाओं आदि सुधार पर भी विशेष जोर दे रही ळें

मौजूदा वक्त में भारतीय विश्वविद्यालयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में कमी को दूर करने के लिए जरूरी है कि भारत सरकार अपने 200 उच्चतम रैंक वाले विश्वविद्यालयों को दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराए। शिक्षण संस्थानों में पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी नई शिक्षा नीति मुखर दिख रही है, इन दोनों ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे संस्थानों को समान रूप से विशेष पैकेज दे, ताकि अगले 10 साल में राष्ट्रीय औसत के बराबर इन संस्थानों में दाखिला सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें कोई संशय नहीं है कि इस नीति लागू करने में सरकार के समक्ष कई अड़चनें आएगी। सभी घोषणाओं को लागू करने के लिए बुनियादी संरचना की जरूरत होगी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में शिक्षकों की भूमिका निर्णायक रहेगी साथ ही साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी सकारात्मक होना अनिवार्य है। इसके बिना नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों को लागू करना मुश्किल होगा।

सन्दर्भ :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का प्रारूप,राजपत्र, भारत सरकार

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

2. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/national-education-policy-2020.
3. Chopra, Ritika (30 dec 2020) "India"S, New National Education Policy, Explained". The Indian Express. https://indianexpress.com/article/explained/reading-new-education-policy-india-schools-colleges-6531603
4. https://ebooks.lpude.in/arts/ma_education/year_2/DEDU501_DEVELOPMENT_OF_EDUCATION_SYSTEM_HINDI.pdf
5. Aithal, P.S. & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 "towards achieving its Objectives". International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 5(2), 19-41.